भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: † 988

दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विद्यालय स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम

† 988. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्यालय स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के तहत, केवल कुछ विद्यालय ही बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर कार्यक्रमों के लिए समय निर्धारित करने में सक्षम हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार किस प्रकार कमियों को छुपाने और कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): आयुष्मान भारत के तहत, विद्यालय स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम (एबी-एसएचडब्ल्यूपी) स्कूल जाने वाले बच्चों को कार्यकलाप आधारित, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करता है ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराया जा सके। इसका उद्देश्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किशोरों के लिए संपर्क के बिंदु के रूप में स्थान देना है। आयुष्मान भारत विद्यालय स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम के तहत सेवा वितरण ढांचा विद्यालय स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर है, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत (एचडब्ल्यूए) के रूप में नामित प्रत्येक विद्यालय में दो शिक्षक, अधिमानतः एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं। ये राजदूत आयुष्मान आरोग्य मंदिर या किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिकों (एएफएचसी) में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने और अनुवर्ती देखभाल के लिए छात्रों का समर्थन करते हैं।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के सहयोग से स्वास्थ्य और कल्याण राजदूतों (एचडब्ल्यूए) के रूप में नामित स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामाग्री: स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम नामक एक व्यापक पैकेज विकसित किया है।

एबी-एसएचडब्ल्यूपी राज्य रिपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार; 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 328 जिलों में 3,23,575 स्वास्थ्य और कल्याण राजदूतों (एचडब्ल्यूए) को प्रशिक्षण किया गया और भारत भर में 167234 स्कूल प्रधानाध्यापकों को आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम के बारे में उन्मुखीकृत किया गया। स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम की कवरेज का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में है।

सेवाओं का अधिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं;

- राज्य संसाधन व्यक्तियों (एसआरपी) का प्रशिक्षण और जिला संसाधन व्यक्तियों (डीआरपी) का प्रशिक्षण और स्वास्थ्य और कल्याण राजदूतों (एचडब्ल्यूए) का ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण नियमित आधार पर आयोजित किया जाता है।
- एबी-एसएचडब्ल्यूपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अंतर-विभागीय अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर अभिसरण बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोटोटाइप संचार सामग्री विकसित की है और जागरूकता सृजन गतिविधियों को पूरा करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया है।
- विद्यालय को एक महत्वपूर्ण मंच मानते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के स्वास्थ्य एवं कल्याण घटक के भाग के रूप में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के सहयोग से स्कूल आधारित स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की योजना बनाई गई है।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2022-23 तक स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम का कवरेज				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एसएचडब्ल्यूपी को लागू करने वाले जिलों की संख्या	प्रशिक्षित शिक्षकों (एचडब्ल्यूए) की कुल संख्या	उन्मुख प्रधानाचार्यों की संख्या
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2	100	104
2	आंध्र प्रदेश	13	21864	10932
3	अरुणाचल प्रदेश	6	543	253
4	असम	7	5155	2076
5	बिहार	14	24385	9,301
6	चंडीगढ़	1	232	103
7	छत्तीसगढ़	9	3636	2488
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीप	2	490	86
9	दिल्ली	3	849	91
10	गोवा	2	812	100
11	गुजरात	10	15169	11083
12	हरियाणा	22	10767	5267
13	हिमाचल प्रदेश	8	6015	3617
14	जम्मू और कश्मीर	4	5984	1781
15	झारखंड	19	20881	10441
16	कर्नाटक	2	3552	1781
17	केरल	0	0	0
18	लद्दाख	2	929	253
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	52	25936	13193
21	महाराष्ट्र	16	31675	18752
22	मणिपुर	3	193	146
23	मेघालय	5	3224	1283
24	मिजोरम	5	1175	550
25	नागालैंड	3	287	159
26	ओडिशा	30	43551	28897
27	पुद्दुचेरी	4	332	110
28	पंजाब	2	881	488
29	राजस्थान	7	9481	4617
30	सिक्किम	4	760	380
31	तमिलनाडु	16	38833	17898
32	तेलंगाना	6	2376	1188
33	त्रिपुरा	1	402	201
34	उत्तर प्रदेश	19	25067	14332
35	उत्तराखंड	5	4311	2321
36	पश्चिम बंगाल	24	13728	2962
कुल		**328**	**323575**	**167234**